



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - **17585/2026**

शाहनवाज उर्फ सेराजआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति सजीव कुमार,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना बेलहर कलां, जिला संत कबीर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 126/2025, अंतर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) बी.एन.एस. में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध चार पहिया वाहन की चोरी के संबंध में दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान, आवेदक को कथित तौर पर एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित वाहन उसके कब्जे से बरामद नहीं हुआ था और उसे घटनास्थल से भागते हुए दिखाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इसी के साथ, आवेदक का अन्य मामलों में भी चालान किया गया था जिनमें उसे जमानत मिल चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया है कि यह अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक 02.07.2025 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के साथ-साथ अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बना लिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक-शाहनवाज उर्फ सेराज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (तदनुरूपी धारा 84 बीएनएसएस) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

वी.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"